तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सरकार बनाम ग्राम पंचायत रोहिचा कला धारा 131, 132, 136	
12/4/2021	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 158/2019 व 193/2019 अनवान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी बनाम ग्राम पंचायत रोहिचा कला एवं ग्राम पंचायत रोहिचा कला बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 भू-राजस्व अधिनियम पत्रावली पेश हुई। राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 158/2019 व 193/2019 में समान एवं समरूप विषय में तरमीम दुरुस्ती किये जाने का निवेदन किया गया हैं। इस कारण से उक्त दोनो पत्रावलियों को सामिल करते हुए निर्णित किया जा रहा है। प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम रोहिचा कला के ख.नं. 335/7 रकबा 12.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन आबादी , ख.न. 335/8 रकबा 12.08 बीघा किस्म गैर मुमकिन आबादी ख.न. 140/1 रकबा 20 बीघा गैर मुमकिन आबादी ख.न. 140/2 रकबा 20 बीघा किस्म गैर मुमकिन आबादी एवं ख.न. 140/3 रकबा गैर मुमकिन आबादी प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तावित नक्शा संख्या 1 व 2 अनुसार तरमीम शुद्वि करने के आदेश किये जाने का निवेदन किया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तत्कालीन ग्राम पंचायत रोहिचा कला द्वारा अपने लेटर हेड पर उपरोक्त आबादी भूमि की प्रस्ताव अनुसार तरमीम शुद्वि हेतु सहमति जाहिर की एवं स्वयं ग्राम पंचायत रोहिचा कला द्वारा दिनांक 09.12.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम रोहिचा कला के खसरा नम्बर 140/1, 140/2, 140/3 तथा खसरा नम्बर 335/7, 335/8 पूर्व में किये गये तरमीम निरस्त करने तथा प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार तरमीम दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाने का निवेदन किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2019/3569 दिनांक 02.12.2019 के संलग्न दस्तावेज मूल आवंटन प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिया, प्रस्तावित नक्शे की प्रति , मूल आवेदन पत्र , वर्तमान जमाबंदी , हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं ग्राम रोहिचा कला के नामाकंरण संख्या 505, 561, 565 का अवलोकन एवं अध्ययन किया है। प्रार्थी तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत रोहिचा कला ने वर्ष 2002 में ग्राम रोहिचा कला के खसरा नम्बर 335 में से 20 बीघा एंव 40 बीघा के दो प्रस्ताव अलग-अलग जगह पर आबादी विस्तार हेतु पेश करने पर राज्य सरकार द्वारा 12.10 व 12.10 बीघा के अलग-अलग कुल 25 बीघा आवटन करने पर नामाकंरण संख्या 561 दर्ज किया गया। जिसकी नक्शे में प्रस्तावित नक्शे	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अनुसार तरमीम नही करके अन्य स्थान पर तरमीम कर दी गई। इसी तरह ग्राम रोहिचा कला के खसरा नम्बर 140 मे से 20 बीघा भूमि का आबादी विस्तार में आवटन होने पर नामाकंरण संख्या 505 के द्वारा आबादी भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया। जिसका नामाकंरण की पुस्त पर प्रस्तावित भूमि का नक्शा दौ तरह का हैं जो कि की गई तरमीम से मेल नही खा रहा हैं। इसी खसरा नम्बर 140 मे से 20 बीघा एवं 20 बीघा अलग–अलग आबादी भूमि आवटन के प्रस्ताव देने पर राज्य सरकार द्वारा 20–20 बीघा भूमि आवटित की गई। जिसका राजस्व रेकर्ड में जरिये नामाकंरण संख्या 561 व 565 गैर मुमकिन आबादी अमलदरामद किया गया, लेकिन नक्शे में तरमीम प्रस्तावित जगह नहीं करके अन्य जगह पर कर दी गई। मूल प्रस्ताव "प्रशासन गावं के संग अभियान – 2002 " में भिजवाये अनुसार तरमीम दुरुस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड एवं तथ्यों का अवलोकन व अध्ययन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता हैं कि माफिक रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2019/3569 दिनांक 02.12.2019 के सलग्न हल्का पटवारी रोहिचा कला द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा 1 व 2 में संकेत हरी स्याही से अंकित नजरी नक्शे अनुसार पूर्ण जांच तरमीम दुरुस्ती करें एवं आवश्यक इन्द्राज करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी